"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 — माघ 27, शक 1939

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शायें अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालोद	बालोद	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, जेएमएफसी, डोण्डी लोहारा
2.	दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा	दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा	श्री जनक कुमार हिडको, जेएमएफसी, दंतेवाड़ा
3.	दुर्ग	दुर्ग	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी, दुर्ग
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्री अमित जिंदल, जेएमएफसी, जांजगीर
5.	जशपुर	जशपुर	श्री डमरूधर चौहान, जेएमएफसी, कुनकुरी
6.	कोरबा	कोरबा	श्रीमती सीमा चंद्राकर, जेएमएफसी, कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	अंबिकापुर	अंबिकापुर	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह डांगी, जेएमएफसी, अंबिकापुर
8.	जगदलपुर	जगदलपुर	श्री अभिषेक शर्मा, जेएमएफसी, जगदलपुर

No. F 11-3/2013/MBV/50.— In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column no. 3 :-

S. No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board (2)	Area/Revenue Dist. (3)	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board (4)
1.	Balod	Balod	Smt. Sarojani Janardan Khare, JMFC, Dondilohara
2.	Dantewada, Bijapur and Sukma	Dantewada, Bijapur and Sukma	Shri Janak Kumar Hidko, JMFC, Dantewada
3.	Durg	Durg	Smt. Archana Bhaskar, JMFC, Durg
4.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Shri Amit Jindal, JMFC, Janjgir
5.	Jashpur	Jashpur	Shri Damrudhar Chouhan, JMFC, Kunkuri
6.	Korba	Korba	Smt. Seema Chandrakar, JMFC, Korba
7.	Ambikapur	Ambikapur	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, JMFC, Ambikapur
8.	Jagdalpur	Jagdalpur	Shri Abhishek Sharma, JMFC, Jagdalpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. एम. गीता, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.